

अंचल अधिकारी गिरमा का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या- .. 342/2016-17

वाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा०म०नि०-119/85/2308/रा०, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व, विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा०, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ०नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा- चिचन, थाना- चिचन, खाता संख्या- 41, प्लॉट संख्या- ....., रकबा- हक्का, एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द संख्या- I, के पृष्ठ संख्या- 37, पर जमाबंदी रैयत दुर्गा के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/ निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।



अभिलेख दिनांक- 28/7/16 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

दुर्गा  
28/7/16  
अंचल अधिकारी

सिद्धि जमाबंदी अभिलेख अर्ह सं 342/2016-17

तिथि	पदाधिकारी आदेश	अभ्युक्ति
07/01/21	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>उपायुक्त, धनबाद द्वारा प्राप्त निदेश एवं विभागीय पत्र संख्या-1704/रा0, दिनांक-15.07.2020 के आलोक में पूर्ण समीक्षा कर अभिलेख का निस्तारण करने का निदेश प्राप्त है। उक्त निदेश के आलोक में पुनः जमबांदीदार रैयत/उनके वंशज को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक-22/01/21 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;"> अंचल अधिकारी, निरसा।</p>	
22/01/21	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>नोटिस का तामिला प्राप्त। जमाबंदीदार रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित/अनुपस्थित। इनके द्वारा अपने पक्ष में केवाला दलील, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित बन्दोबस्ती पर्चा, हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीद, फॉर्म-एम0, लगान-रसीद, दिनांक 01.01.1946 के पूर्व का निबंधित दस्तावेज एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति समर्पित किया गया है/नहीं किया गया है। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को पुनः निदेश दिया जाता है कि एक पक्ष के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर हाल खाता/प्लॉट का उल्लेख करते हुये अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक-लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक-30/01/21 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;"> अंचल अधिकारी, निरसा।</p>	
30/01/21	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से विभागीय पत्रांक-1704/रा0, दिनांक-15.07.2020 में वर्णित तथ्यों के आलोक में जमबांदी नियमितीकरण/रद्द करने से संबंधित भूमि का स्थलीय एवं राजस्व कागजातों का</p>	

मिलान कर जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि मौजा-.....

.....कालीमरी....., मौजा नं०-१३४, साबिक खाता सं०-५१, साबिक

प्लॉट सं०-....., रकवा-६ विघ्न जिसका हाल खाता सं०-१०५,  
हाल प्लॉट सं०-....., रकवा-६ विघ्न गत् सर्वे

खतियान एवं हाल सर्वे खतियान के अनुसार गैर आबाद (अनाबाद

बिहार/झारखण्ड सरकार) खाते की भूमि है। जमाबंदी रैयत/वंशज के द्वारा

दिनांक-01.01.1946 के पूर्व का कोई भी राजस्व कागजात प्रस्तुत नहीं किया

गया। जमाबंदी रैयत/वंशज का उक्त भूमि पर वर्ष 1985 के पूर्व से दखलकार

नहीं है। उक्त जमाबंदी को नियमितीकरण नहीं की जा सकती है। इस संबंध में

तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी के द्वारा पूर्व

में उक्त जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है। पुनः संबंधित राजस्व

उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा अवैध जमाबंदीदार.....खुटू मारपी.....

.....के नाम से पंजी-II में कायम जमाबंदी संख्या-३७.....को रद्द करने की

अनुशंसा की गयी है।


अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा

के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा-4(h) के

तहत पंजी-II में कायम जमाबंदी संख्या-३७.....को रद्द करने हेतु अनुशंसा

के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद के माध्यम से अपर

समाहर्ता, धनबाद को भेजें।

  
30/01/21  
अंचल अधिकारी,  
निरसा।